File No.01/01/2007/MSEZ/UAC

मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 13/01/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13/01/2023 को दोपहर 12:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त (डीसी), नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (दिनांक 23/09/2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. सुश्री नेहा सुमन, सहायक आयुक्त (उद्योग), डीआईसी, मुरादाबाद (प्रमुख सचिव, उद्योग, यूपी सरकार की प्रतिनिधि)
3. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी (CGST), मुरादाबाद।
4. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोलिया, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी (ICD) मुरादाबाद।
5. श्री आनंद प्रकाश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, मुरादाबाद।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) राजेश कुमार, उप. विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (NSEZ) (ii) किरण एम. मोहदीकर, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एसईजेड (MSEZ), (iii) विकास, सहायक, विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) अनुमोदन समिति की सहायता के लिए और (iv) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) भी उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. शुरुआत में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

सुरेंद्र मलिक

01. **दिनांक 08/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

दिनांक 08/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 08/12/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

02. **इकाई द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं सृजित करने का प्रस्ताव।**

मैसर्स सी एल गुप्ता ओवरसीज एलएलपी :

1. मैसर्स सी एल गुप्ता ओवरसीज एलएलपी का अपनी इकाई के कर्मचारियों और श्रमिकों को उपहार और अन्य जरूरतों के वितरण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत उचित दाम की दुकान खोलने का प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था।

2. श्री कला मुकुंदन, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उचित दाम की दुकान की सुविधा इकाई के नियमित/स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें वे कारखाने के श्रमिकों/कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपने विदेशी खरीदारों द्वारा दिए गए लाभों को आगे बढ़ाएंगे। श्री मुकुंदन ने आगे बताया कि प्रस्तावित सुविधा के निर्माण के लिए वे अपने इकाई परिसर के अंदर 220 वर्ग फुट के क्षेत्र का सीमांकन करेंगे।

3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, उनकी इकाई के कर्मचारियों और श्रमिकों को उपहार और अन्य जरूरतों के वितरण के लिए सीएसआर (CSR) के तहत उचित दाम की दुकान खोलने के लिए मैसर्स सीएल गुप्ता ओवरसीज एलएलपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों सहित निर्देश संख्या 95 के अधीन है:

i. इकाई विकासक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ-साथ प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) / मंजूरी/अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त करेगी।

ii. इकाइयां ऐसी सुविधाओं के निर्माण या संचालन के लिए एसईजेड अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, प्रतिअदायगी, रियायतों या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।

03. **एलओए (LOA) में अतिरिक्त प्राधिकृत परिचालनों को शामिल करने का प्रस्ताव।**

3.1 **मैसर्स पार्थ एक्सपोर्ट्स**

सुरेंद्र मलिक

File No.01/01/2007/MSEZ/UAC

1. इकाई एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने के लिए मैसर्स पार्थ एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव नीचे दिए अनुसार अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था:

क्रम सं.	विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड
1	पीतल का वस्तुएं	74198030
2	तांबे की वस्तुएं	74198090
3	रतन वस्तुएं	46019300
4	बेंत की वस्तुएं	94015900
5	संगमरमर	68029100
6	पत्थर	25151290

2. इकाई के पार्टनर श्री वासु गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि विदेशी बाजारों में मांग के कारण एलओए (LOA) में अतिरिक्त उत्पादों का अनुरोध किया गया था। पूछे जाने पर श्री गोयल ने बताया कि संगमरमर घरेलू स्तर पर खरीदा जाएगा और भारतीय मूल का होगा। वे संगमरमर/पत्थर के ब्लॉक या स्लैब खरीदेंगे, फिर रचना, कटाव, अंतिम सज्जा करेंगे और अपने परिसर में खरीदार की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों को उपयुक्त करेंगे।

3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि इकाई ने विनिर्माण प्रवाह चार्ट में कच्चे माल और तैयार माल के लिए समान आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत किए थे। समिति ने इकाई को सभी वस्तुओं के लिए निर्धारित प्रारूप में संशोधित विनिर्माण प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति ने संशोधित विनिर्माण प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करने के अधीन एलओए (LOA) में निम्नलिखित अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने को भी मंजूरी दी:

क्रम सं.	विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड
1	पीतल का वस्तुएं	74198030
2	तांबे की वस्तुएं	74198090
3	रतन वस्तुएं	46019300
4	बेंत की वस्तुएं	94015900

सुरेंद्र मलिक

File No.01/01/2007/MSEZ/UAC

4. समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई संगमरमर और पत्थर उत्पाद (उत्पादों) के संबंध में संशोधित आईटीसी (एचएस) कोड और विनिर्माण प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत करने पर, निर्णय के लिए फ़ाइल पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त